



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29012026-269645  
CG-DL-E-29012026-269645

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 384]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 29, 2026/माघ 9, 1947

No. 384]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 29, 2026/MAGHA 9, 1947

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2026

का.आ. 412(अ).— केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बीबीनगर के संस्थान निकाय के सदस्य के रूप में नामित करती है:

I. धारा 4 के खंड (क) के तहत सदस्य:

i. कुलपति, हैदराबाद विश्वविद्यालय

II. धारा 4 के खंड (घ) के तहत सदस्य:

i. अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार – वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि

ii. निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद – शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि

III. धारा 4 के खंड (ड) के तहत सदस्य:

i. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति

ii. मुख्य सचिव, तेलंगाना सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति

iii. डॉ. सी. एस. याज्ञिक, निदेशक, केईएम अस्पताल, पुणे

**IV. धारा 4 के खंड (च) के तहत सदस्य:**

- डॉ. शैलेन्द्र हांडू, विभागाध्यक्ष, फार्माकोलॉजी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश
- डॉ. तिर्यंकर देव, विभागाध्यक्ष (फार्माकोलॉजी), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
- डॉ. तनुज दादा, प्रोफेसर, नेत्र विज्ञान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
- डॉ. संजय जैन, विभागाध्यक्ष (आंतरिक चिकित्सा), स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़

2. तदनुसार, संस्थान निकाय की वर्तमान संरचना निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	सदस्य का नाम/पद	टिप्पणियाँ
<b>धारा 4 के खंड (क) के तहत सदस्य :</b>		
1.	कुलपति, हैदराबाद विश्वविद्यालय	
<b>धारा 4 के खंड (ख) के तहत सदस्य :</b>		
2.	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार	पदेन सदस्य
<b>धारा 4 के खंड (ग) के तहत सदस्य :</b>		
3.	संस्थान के निदेशक	पदेन सदस्य
<b>धारा 4 के खंड (घ) के तहत सदस्य :</b>		
4.	अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार – वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि	
5.	निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद – शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि	
<b>धारा 4 के खंड (ङ) के तहत सदस्य :</b>		
6.	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति	
7.	मुख्य सचिव, तेलंगाना सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति	
8.	रिक्त	
9.	डॉ. सी. एस. याज्ञिक, निदेशक, केईएम अस्पताल, पुणे	
10.	डॉ. चंद्रशेखर महादेवराव मेश्राम संस्थान निकाय के अध्यक्ष	07.08.2025 को जारी का. आ. 3640(अ) के माध्यम से नामांकित, राजपत्र आईडी संख्या सी.जी.-डी.एल.-अ.- 12082025-265343 के तहत प्रकाशित
<b>धारा 4 के खंड (च) के तहत सदस्य :</b>		
11.	डॉ. शैलेन्द्र हांडू, विभागाध्यक्ष, फार्माकोलॉजी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश	
12.	डॉ. तिर्यंकर देव, विभागाध्यक्ष (फार्माकोलॉजी), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी	
13.	डॉ. तनुज दादा, प्रोफेसर, नेत्र विज्ञान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	
14.	डॉ. संजय जैन, विभागाध्यक्ष (आंतरिक चिकित्सा), स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़	
<b>धारा 4 के खंड (छ) के तहत सदस्य :</b>		
15.	श्रीमती डी. के. अरुणा, संसद सदस्य, लोक सभा	13.01.2025 को जारी का. आ. 247(अ) के माध्यम से नामांकित, राजपत्र आईडी
16.	श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी, संसद सदस्य, लोक सभा	

		संख्या सी.जी.-डी.एल.-अ.- 14012025-260226 के तहत प्रकाशित
17.	डॉ. के. लक्ष्मण, संसद सदस्य, राज्य सभा	28.12.2023 को जारी का. आ. 5479(अ) के माध्यम से नामांकित, राजपत्र आईडी संख्या सी.जी.-डी.एल.-अ.- 30122023-250967 के तहत प्रकाशित

3. सदस्यों का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

[फा. सं. Z-28016/61/2024-PMSSY-IV(8301549)]

अंकिता मिश्रा बुदेला, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2026

**S.O. 412(E).**— In exercise of powers conferred by Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates the following as members of the Institute Body of All India Institute of Medical Sciences, **Bibinagar** :

#### I. Member under clause (a) of Section 4:

- Vice-Chancellor, University of Hyderabad

#### II. Members under clause (d) of Section 4:

- Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India – Representative of Ministry of Finance
- Director, Indian Institute of Technology, Hyderabad – Representative of Ministry of Education

#### III. Members under clause (e) of Section 4:

- Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India or his/her nominee
- Chief Secretary, Government of Telangana or his/her nominee
- Dr. C. S. Yajnik, Director, KEM Hospital, Pune

#### IV. Members under clause (f) of Section 4:

- Dr. Shailendra Handu, HoD, Pharmacology, AIIMS, Rishikesh
- Dr. Tirthankar Dev, HoD (Pharmacology), AIIMS, Kalyani
- Dr. Tanuj Dada, Professor of Ophthalmology, AIIMS, New Delhi
- Dr. Sanjay Jain, Head (Internal Medicine), PGIMER, Chandigarh

2. Accordingly, the current composition of the Institute Body is as under :

S.No.	Name/Designation of the Member	Remarks
<b>Member under clause (a) of Section 4:</b>		
1.	<b>Vice-Chancellor, University of Hyderabad</b>	
<b>Member under clause (b) of Section 4:</b>		
2.	Director General of Health Services, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India	<i>Ex-officio</i>
<b>Member under clause (c) of Section 4:</b>		
3.	The Director of the Institute	<i>Ex-officio</i>

<b>Member under clause (d) of Section 4:</b>		
4.	<b>Additional Secretary &amp; Financial Advisor, Ministry of Health &amp; Family Welfare – Representative of Ministry of Finance</b>	
5.	<b>Director, Indian Institute of Technology, Hyderabad – Representative of Ministry of Education</b>	
<b>Member under clause (e) of Section 4:</b>		
6.	<b>Secretary, Ministry of Health &amp; Family Welfare, Government of India or his/her nominee</b>	
7.	<b>Chief Secretary, Government of Telangana or his/her nominee</b>	
8.	Vacant	
9.	<b>Dr. C. S. Yajnik, Director, KEM Hospital, Pune</b>	
10.	Dr. Chandrashekhar Mahadeorao Meshram President of the Institute Body	Nominated vide S.O. 3640(E) dated 07.08.2025, published under Gazette ID No. CG-DL-E-12082025-265343
<b>Member under clause (f) of Section 4:</b>		
11.	<b>Dr. Shailendra Handu, HoD, Pharmacology, AIIMS, Rishikesh</b>	
12.	<b>Dr. Tirthankar Dev, HoD (Pharmacology), AIIMS, Kalyani</b>	
13.	<b>Dr. Tanuj Dada, Professor of Ophthalmology, AIIMS, New Delhi</b>	
14.	<b>Dr. Sanjay Jain, Head (Internal Medicine), PGIMER, Chandigarh</b>	
<b>Member under clause (g) of Section 4:</b>		
15.	Smt. D K Aruna, Member of Parliament, Lok Sabha	Nominated vide S.O. 247(E) dated 13.01.2025, published under Gazette ID No. CG-DL-E-14012025-260226
16.	Shri Chamala Kiran Kumar Reddy, Member of Parliament, Lok Sabha	
17.	Dr. K. Laxman, Member of Parliament, Rajya Sabha	Nominated vide S.O. 5479(E) dated 28.12.2023, published under Gazette ID No. CG-DL-E-30122023-250967

3. The term of office of members shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F. No. Z-28016/61/2024-PMSSY-IV(8301549)]

ANKITA MISHRA BUNDELA, Jt. Secy.